ऑन लाईन नं.GCMS2024/61

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 28 / 2024

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकाारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री कमलेश कुमार पुत्र कालूराम —(मालिक व विक्रेता)—
मै0 बिश्नोई मिल्क भण्डार, पुरानी आबादी, ताराचन्द वाटिका, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51
निर्णय दिनांक : 17.05.2023

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री हंसराज गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः—एफएसएसए / 2022 / 6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश कमांकः— आयुक्ता0 / खासुऔनि / संस्था / 2022 / 6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.08.2023 को दोपहर पूर्व 10.10 बजे का **मै** बिश्नोई मिल्क भण्डार, पुरानी आबादी, ताराचन्द वाटिका, श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता **कमलेश कुमार पुत्र कालूराम (विक्रेता एवं मालिक), को अपना परिचय देकर संस्थान में विक्रेता के पास रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (खुला) जो कि सिल्वर की टंकी में रखा हुआ था के बारे में जानकारी चाही इस पर स्वयं को विक्रेता बताया तथा संस्थान में रखे 10 किलोग्राम खाद्य पदार्थ घी (खुला) आमजन** के विक्रय वास्ते होना बताया। **घी (खुला)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **घी (खुला)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे **कमलेश कुमार पुत्र कालूराम** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक **कमलेश कुमार पुत्र कालूराम** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ घी (खुला) 10 किलोग्राम में से 800 ग्राम को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **घी (खुला)** का नगद भुगतान 480 / — रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

ऑन लाईन नं.GCMS2024/61

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी (खुला)** 2 लीटर को एकरूप कर चार सूखी साफ व खाली शीशियों में बराबर भागों में बॉटकर पैक कर 4 नमूने तैयार कर उस पर लैबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1932** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1932** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **कमलेश कुमार पुत्र कालूराम** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट **K-1932** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/1275/एक्ट/2023/1275 दिनांक 29.08.2023 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–1932 **Ghee Unsafe Food Under section 3(1)(zz)(IV), 3(1)(zz)(xi) of Food Safety and Standards Act-2006, as Ghee is substituted wholly by any inferior or cheaper Substances. The sample is also Sub-standard food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards(Food Products Standards and Food Additive)Regulations, 2011.** होना पाया गया। जिस पर अप्रार्थी द्वारा पुनः जांच **Director, Referal, Food Laboratoy, Pune-411001** से करवाई गई जो **Director, Referal, Food Laboratoy, Pune** द्वारा जारी जांच रिपोर्ट कमांकः **Ceratificate No. RFL/P/DO-538/23/630/2023** से प्राप्त हुई। जिसके अनुसार खाद्य नमूना संख्या के–1932 **Ghee Sub-standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त कमलेश कुमार पुत्र कालूराम विक्रेता एवं मालिक **मै0** बिश्नोई मिल्क भण्डार, पुरानी आबादी, ताराचन्द वाटिका, श्रीगंगानगर द्वारा **sub-standard Food, Ghee** का विक्रय किये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.04.2024 को प्रस्तुत किया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

ऑन लाईन नं.GCMS2024/61

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है किः– प्रार्थी मकान नम्बर 183, गांधी बस्ती पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर तहसील व श्रीगंगानगर का रहने वाला है तथा प्रार्थी की **मै0** बिश्नोई मिल्क भण्डार, पुरानी आबादी, ताराचन्द वाटिका के पास श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मालिक है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 24/543 दिनांक 22.04.2024 का दिया है कि आपकी दुकान में घी (खुला) की जांच की गई तो गांय का दुध **Sub- Standard Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त गाय का दुध में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **घी (खुला)** का सैम्पल **K-1932** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/1275/एक्ट/2023/1275 दिनांक 29.08.2023 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–1932 **Ghee Unsafe Food Under section 3(1)(zz)(IV), 3(1)(zz)(xi) of Food Safety and Standards Act-2006, as Ghee is substituted wholly by any inferior or cheaper Substances. The sample is also Sub-standard food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards(Food Products Standards and Food Additive)Regulations, 2011.** होना पाया गया। जिस पर अप्रार्थी द्वारा पुनः जांच **Director, Referal, Food Laboratoy, Pune-411001** से करवाई गई जो **Director, Referal, Food Laboratoy, Pune** द्वारा जारी जांच रिपोर्ट कमांकः **Ceratificate No. RFL/P/DO-538/23/630/2023 ,**से **standard of Food** होना पाया गया। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी मकान नम्बर 183, गांधी बस्ती पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर तहसील व श्रीगंगानगर का रहने वाला है तथा प्रार्थी की **मै0** बिश्नोई मिल्क भण्डार, पुरानी आबादी, ताराचन्द वाटिका के पास श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मालिक है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 24/543 दिनांक 22.04.2024 का दिया है कि आपकी दुकान में घी (खुला) की जांच की गई तो गांय का दुध **Sub- Standard Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त गाय का दुध में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Ghee(Loose)" bearing Code No and Sr. No. K-1932, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is does not conform to the Standards of Ghee as per Regulations No. 2.1.8 of the Food Safety and Standards (Food Products Standards & Food Additives) Regulations. 2011 and Further amendments, on the basis of tests performed. Hence Found to be Sub-standard as per section 3(1)(zx) of Food Safety & Standards Act 2006.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त **कमलेश कुमार पुत्र कालूराम** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **कमलेश कुमार पुत्र कालूराम** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 25,000–00 (अखरे रूपये पच्चीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **कमलेश कुमार पुत्र कालूराम** खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)